न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS .

राजस्व मूल वाद संख्याः— 3/2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती भंवरकी पत्नी श्री गुलाराम उम्र 53 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.एवन पत्नी श्री कलाराम 02.कानाराम पुत्र श्री कुपाराम 03.गेरी देवी पुत्री श्री कुपाराम 04.मोहनराम पुत्र श्री कुपाराम 05.रतनलाल पुत्र श्री कुपाराम 06.लूणाराम पुत्र श्री कुपाराम जातियान मेघवाल निवासीगण नन्दवान तहसील लूणी 07.कैलाश पुत्र श्री हुक्माराम जाति मेघवाल रोहिचा कला तहसील लूणी 08.महेश कुमार पुत्र श्री हिराराम जाति मेघवाल निवासी 124 आदेश्वर नगर बिडला स्कूल के सामेन झंवर रोड जोधपुर। 09.सुशिला पत्नि ओमप्रकाश निवासी सतलाना जोधपुर 10.हडमानराम पुत्र समेलराम निवासी सरेचा जोधपुर। 11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

वाद अन्तर्गत धारा ,53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई उपस्थित

02.प्रतिवादीगण संख्या 1,3,5 की और से भागीस्थ विश्नोई व ईश्वरसिह उपस्थित

03.प्रतिवादीगण शेष सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

आदेश दिनाक 18/06/2024

वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा .53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.02.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाड प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 15.05.2024 को पेश किया।

वादीनी व प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 49/1 रकबा 3.5936 हैक्टर ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान तहसील लूणी वादीनी एव प्रतिवादीगण का नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 15.05.2024 मय मौका फर्द दिनाक 29.04.2023 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीनी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है इसके अनुसार। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसारः

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म
01	एवन पत्नि कलाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा,देह खातेदार	49/1	0.1619	बारानी द्वितीय
02	कैलाश पुत्र हुक्माराम हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा रोहिचा कला खातेदार, महेश कुमार पुत्र हीराराम हिस्सा 1/2 जाति	49/1	0.4857	बारानी द्वितीय

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

	मेघवाल सा 124 आदेश्वर नगर बिडला स्कूल के सामने झंवर रोड जोधपुर खातेदार			
03	कानाराम पुत्र कुपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा, देह खातेदार	49/1	0.3748	बारानी द्वितीय
04.	गैरी देवी पुत्री कुपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा देह, खातेदार	49/1	0.0856	बारानी द्वितीय
05	भंवरकी पत्नि गुलाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल या बोरानाडा खातेदार	49/1	0.3238	बारानी द्वितीय
06	मोहनराम पुत्र कुपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा ,देह खातेदार	49/1	0.3778	बारानी द्वितीय
07	रतनलाल पुत्र कुपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा देह खातेदार	49/1	0.3238	बारानी द्वितीय
		49/1	0.2700	बारानी द्वितीय
08	लूणाराम पुत्र कुपाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा देह खातेदार	49/1	0.7016	बारानी द्वितीय
09	सुशिला पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण जाति जटिया सा जटियो का बास सतलाना तहसील लूणी जोधपुर	49/1	0.1619	बारानी द्वितीय
10	हडमानराम पुत्र समेलराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा मेघवालो का बास ग्राम सरेचा तहसील लूणी जोधपुर।	49/1	0.3267	बारानी द्वितीय

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादीनी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 29.04.2024 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 29.04.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(सुरभि राज कछवाहा) RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 3/2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.श्रीमती भंवरकी पत्नी श्री गुलाराम उम्र 53 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.एवन पत्नी श्री कलाराम 02.कानाराम पुत्र श्री कुपाराम 03.गेरी देवी पुत्री श्री कुपाराम 04.मोहनराम पुत्र श्री कुपाराम 05.रतनलाल पुत्र श्री कुपाराम 06.लूणाराम पुत्र श्री कुपाराम जातियान मेघवाल निवासीगण नन्दवान तहसील लूणी 07.कैलाश पुत्र श्री हुक्माराम जाति मेघवाल रोहिचा कला तहसील लूणी 08.महेश कुमार पुत्र श्री हिराराम जाति मेघवाल निवासी 124 आदेश्वर नगर बिडला स्कूल के सामेन झंवर रोड जोधपुर। 09.सुशिला पत्नि ओमप्रकाश निवासी सतलाना जोधपुर 10.हडमानराम पुत्र समेलराम निवासी सरेचा जोधपुर। 11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 3/2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीनी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनाक 29.04.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीनी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..... .....को अदा करें।

बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 18/6/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी